



तारीख दुसरा	दुसरा या कार्यवाही का विवरण	किस अधीन रखी गयी
	<p>कर अधिभोग द्वारा किया गया कुल राजस्थान मातृत्वार्थ अधि. 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिविल पक घोषित कर कब्जा बंदम सरकार लिखे जाने का निर्देश किया गया है। उपलब्ध रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम सिविल, भादुरनाऊ तहसील रानी के ख.न. 839/3 रकबा 0.0465 है। किस्म पा.प्र. कृषि भूमि जबकी पटकारी हव्वा भादुरनाऊ की नोका रिपोर्ट अनुसार वर्णित भूमि बिना रूपांतरण किमें मौके पर पक्का मकान व दुकानों का निर्माण का वाणिज्यिक उपयोग में ली जा रही है। आग्रहण का कुल कुल राज. मातृत्व धारा अधि. 1955 धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रार्थना - पत्र प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सिविल के ख.न. 839/3 रकबा 0.0465 है। किस्म पा.प्र. कृषि भूमि को राजकीय सिविल पक घोषित किया जाकर कब्जा बंदम सरकार लिखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, रानी आदेश की पालना मत्र भूमि राजकीय सिविल पक कब्जा कर कब्जा बंदम लिखा जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। आदेश प्रति तहसीलदार, रानी को शिक्षा दी जावे। पत्रावली फूस्लत कुमार होकर, नंबर से कम हो।</p>	<p>तारीख दुसरा</p>



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) रानी

राजधानी सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानी  
कृपा/कोर्ट/357 दिनांक 01/01/25 -

1. तहसीलदार रानी को पालना के घोषित हैं।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) रानी